

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती चम्पा काण्डपाल, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, सचल जनपद-बागेश्वर	पशु चिकित्सालय, प्रतापपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 890 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्मे०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सचल बागेश्वर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, प्रतापपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती हेमलता पांगती, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, तेजम जनपद-पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, बाडेछीना जनपद-अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/—

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 891 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्मे०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, तेजम पिथौरागढ़।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाडेछीना-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अरविन्द जोशी, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, पाटी जनपद-चम्पावत	पशु चिकित्सालय, सिप्टी जनपद-चम्पावत	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/—

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 892 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पाटी-चम्पावत।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सिप्टी-चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन चन्द्र जोशी, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, झीपा जनपद-अल्मोडा	पशु चिकित्सालय, भिकियासैण जनपद-अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर नोट-यह स्थानान्तरण आदेश श्री प्रकाशचन्द्र नैनवाल, प०चि०फार्म० अ०, के पदोन्नति पद पर योगदान करने के उपरान्त प्रभावी होंगे

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 893 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, झीपा-अल्मोडा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भिकियासैण-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरीश चन्द्र पन्त, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, मानिला जनपद-अल्मोडा	पशु चिकित्सालय, रामगढ़ जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 894 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मानिला-अल्मोडा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, रामगढ़-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रवि कुमार पन्त, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, कर्मी जनपद-बागेश्वर	पशु चिकित्सालय, थल जनपद-पिथौरागढ़	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 895 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कर्मी-बागेश्वर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, थल-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महिपाल सिंह, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, नामती चेटाबगड जनपद-बागेश्वर	पशु चिकित्सालय, झीपा जनपद-अल्मोडा	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 896 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, नामती चेटाबगड-बागेश्वर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, झीपा-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रमेश चन्द्र पाण्डे, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, नाचनी जनपद-पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, इजडा जनपद-चम्पावत	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 897/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्मे०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, नाचनी-पिथौरागढ़।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, इजडा-चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, पिथौरागढ़/चम्पावत।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दुर्गा प्रसाद, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, भीमताल जनपद-नैनीताल	पशु चिकित्सालय, सचल बागेश्वर	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 898 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भीमताल-नैनीताल।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, सचल-बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/बागेश्वर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मेन्द्र सिंह, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, भियालगांव जनपद-नैनीताल	पशु चिकित्सालय, खटीमा जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 899 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०चि०फार्मे०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भियालगांव-नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, खटीमा-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रदीप कुमार आर्य, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, धौलनैली जनपद-अल्मोडा	पशु चिकित्सालय, भीमताल जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 900 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, धौलनैली-अल्मोडा।
3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भीमताल-नैनीताल।
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, अल्मोडा/नैनीताल।
6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री महेश चन्द्र पलडिया, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, दियारी जनपद-नैनीताल	पशु चिकित्सालय, फतेहपुर जनपद-नैनीताल	जनहित नोट-यह स्थानान्तरण आदेश श्री एम०एस० रावत, प०चि०फार्म० अ०, के पदोन्नति पद पर योगदान करने के उपरान्त प्रभावी होंगे

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 901 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दियारी-नैनीताल।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, फतेहपुर-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रवीन्द्र सिंह, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, बाडेछीना जनपद-अल्मोडा	पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित नोट-यह स्थानान्तरण आदेश श्री एम०सी० पाठक प०चि०फार्म० अ०, के पदोन्नति पद पर योगदान करने के उपरान्त प्रभावी होंगे

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 962 /स्था०-01/वा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाडेछीना-अल्मोडा।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-18 (3)-पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री तरुण बाजपेयी, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, खैरना जनपद-नैनीताल	पशु चिकित्सालय, चोरगलिया जनपद-नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती सरस्वती, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, चोरगलिया जनपद-नैनीताल	पशु चिकित्सालय, खैरना जनपद-नैनीताल	
3	श्री गोपेश चन्द्र पाण्डेय, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, ख्वाकोट जनपद-पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, झूलाघाट जनपद-पिथौरागढ़	पारस्परिक स्थानान्तरण
4	श्रीमती मनीषा कार्तिक, पशुचिकित्सा फार्मसी अधिकारी,	पशु चिकित्सालय, झूलाघाट जनपद-पिथौरागढ़	पशु चिकित्सालय, ख्वाकोट जनपद-पिथौरागढ़	

- उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।
- पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 903 /स्था०-01/वा०पा०स्था०-प०चि०फार्म०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, खैरना/चोरगलिया-नैनीताल।
- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुचिकित्सालय, ख्वाकोट/झूलाघाट-पिथौरागढ़।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01